

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19.01.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। मूल वाद-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Wamp)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डधिकारी
हनुमानगढ़